


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1518]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2014/आषाढ़ 31, 1936

No. 1518]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2014/ASHADHA 31, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2014

का.आ. 1886(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड नियम, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के साथ पठित, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1093(अ), तारीख 22 सितंबर, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, —

(i) खंड (ग) में, क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(i) डा. ज्योति धुर्वे, लोक सभा,

(ii) श्री दुष्यंत सिंह, लोक सभा,

(iii) डा. एम.एस. गिल, राज्य सभा।”;

(ii) खंड (ङ) में, क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(i) गुजरात इकोलोजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जीइइआर) फाउंडेशन, गांधीनगर, गुजरात।”;

(iii) खंड (च) में, क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- “(i) प्रोफेसर रमन सुकुमार,
(ii) डा. एच.एस. सिंह।”;
- (iv) खंड (फ) में, क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
- “(i) आंध्र प्रदेश,
(ii) गोवा
(iii) राजस्थान,
(iv) उत्तराखंड,
(v) अंदमान और निकोबार द्वीप।”।

[फा. सं. 6-46/2013-डब्ल्यू एल]

डॉ. एस.एस. गर्ब्याल, वन महानिदेशक और विशेष सचिव तथा
निदेशक, वन्य जीव संरक्षण

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. का.आ. 1093(अ), तारीख 22 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 1249(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2004; का.आ. 1324(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2004; का.आ. 802(अ), तारीख 16 मई, 2007 और का.आ. 483(अ), तारीख 25 फरवरी, 2010 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2014

S.O. 1886(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) read with sub-rule (4) of rule 3 of the National Board for Wild Life Rule, 2003, the Central Government hereby nominates the following as members to the National Board for Wild Life and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1093(E), dated 22nd September, 2003, namely:—

In the said notification,—

(i) in clause (c), for the serial numbers and entries, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

- “(i) Dr. Jyoti Dhurve, Lok Sabha,
(ii) Shri Dushyant Singh, Lok Sabha,
(iii) Dr. M.S. Gill, Rajya Sabha.”;

(ii) in clause (e), for the serial numbers and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

“(i) Gujarat Ecological Education and Research (GEER) Foundation, Gandhinagar, Gujarat.”;

(iii) in clause (f), for the serial numbers and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

- “(i) Prof. Raman Sukumar,
(ii) Dr. H.S. Singh.”;

(iv) in clause (v), for the serial numbers and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

- “ (i) Andhra Pradesh,
(ii) Goa,
(iii) Rajasthan,
(iv) Uttarakhand,
(v) Andaman and Nicobar Islands.”

[F. No. 6-46/2013-WL]

Dr. S.S. GARBYAL, Director General of Forests and Special Secretary and
Director, Wildlife Preservation

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1093(E), dated the 22nd September, 2003 and subsequently amended *vide* S.O. 1249(E), dated the 8th November 2004; S.O. 1324(E), dated the 1st December, 2004; S.O. 802(E), dated the 16th May, 2007 and S.O. 483(E), dated 25th February, 2010.